>

Title: Need to include Chhattisgarhi language in the Eighth Schedule to the Constitution.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक सुन्दरता और खनिज बहुल्यता के कारण पूरे देश में अलग पहचान रखता है। यहां की धरती रत्नगर्भा कहलाती है और यहां के निवासी शायद देश के सबसे सीधे सादे और शांतिप्रिय लोगों में शुमार किए जाते हैं और जैसा यहां के लोगों का व्यवहार मीठा है वैसी ही मीठी है इनकी बोली छत्तीसगढ़ी। यह छत्तीसगढ़ी भाषा इस प्रदेश के लगभग 2.25 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। यह भाषा इतनी सरल और मीठी है कि इसे बोलने या समझने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती। यह देवनागरी लिपि में ही लिखी और पढ़ी भी जाती है। इस भाषा में वह सभी गुण है जो इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु एक अशासकीय संकल्प भी छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित कर केन्द्र को प्रेषित किया गया है। अतः विषय की महता को देखते हुए संबंधित मंत्रालय से यह अनुरोध हे कि वह छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे ताकि इस भाषा को वह सम्मान और स्थान मिल सके जिसका कि यह भाषा हकदार है।